

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 237/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कार्यालय चौमू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पुरुषोत्तम सेवानी पु. स्व. श्री नाथूमल सेवानी (मृतक कानूनी वारीसान)
 - 1.1 श्रीमती ज्योति सेवानी पत्नी स्व. श्री पुरुषोत्तम सेवानी
 - 1.2 श्री नरेन्द्र कुमार सेवानी पुत्र स्व. श्री पुषोत्तम सेवानी
- प्लॉट नम्बर 86, श्याम नगर स्टेशन रोड, चौमू।

अप्रार्थी ऋणी
एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:—विभागीय प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 1-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 16.04.2009 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री पुरुषोत्तम सेवानी पुत्र श्री नाथूमल सेवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 86, श्याम नगर स्टेशन रोड, चौमू जिला जयपुर क्षेत्रफल 132.12 को बन्धक बना कर कुल 12,09,321/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं है।

3. प्रार्थी के विभागीय प्रतिनिधि को गौर सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को दिनांक 02.04.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13 (2) का नोटिस की अभिस्वीकृति/प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The

securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। श्री पुरुषोत्तम सेवानी पुत्र श्री नत्थूमल सेवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 86, श्याम नगर स्टेशन रोड, चौमू जिला जयपुर क्षेत्रफल 132.12 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 1-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलेक्टर) जयपुर